प्रेषक,

जिला प्रोबेशन अधिकारी
गाजीपुर।

सेवा में,

जिला विज्ञान सूचना अधिकारी
गाजीपुर।

पत्रांक 756-59 जि0प्रो0का0 / फा0अ0 / 2021–22 दिनांक 30/07/2021

विषयः– **<u>उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत कोविड–19 से प्रभावित / अनाथ बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता / अनुदान उपलब्ध कराये जाने के आवेदन पत्र तथा पात्रत्रा की शर्ते अपलोड करने के संबंध में।</u>**

महोदय,

कृपया अनु सचिव उ0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊ के पत्र संख्या–1017 / 60–1–2021 दिनांक 28 जुलाई 2021 द्वारा कोविड–19 महामारी से प्रभावित / अनाथ हुए बालिकाओं के विवाह हेतु शासनादेश इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि कोविड–19 महामारी से प्रभावित / अनाथ हुए बालिकाओं के विवाह हेतु निर्गत शासनादेश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप NIC के बेवसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अनिल कुमार सोनकर)
जिला प्रोबेशन अधिकारी
गाजीपुर।

पृष्ठांकन पत्र संख्या / तददिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1– निदेशक महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।

2– जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।

3– उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी / उप निदेशक वाराणसी मण्डल वाराणसी।

जिला प्रोबेशन अधिकारी
गाजीपुर।

ई-मेल से प्राप्त
30-07-2021।

संख्या-1017 /60-1-2021

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2021

विषयः-'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के अन्तर्गत कोविड-19 से प्रभावित/अनाथ बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं, फिर भी इस महामारी के कारण बड़ी संख्या में जनहानि हुयी है एवं अनेक बच्चे प्रभावित/अनाथ/संकटग्रस्त हो गये हैं। ऐसे संकटग्रस्त बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने के संबंध में 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' प्रारम्भ की गयी है। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-773/60-1-2021, दिनांक 02.06.2021 द्वारा निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-3 (iii) में यह उल्लेख है कि कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित उक्त श्रेणी की सभी बालिकाओं की शादी हेतु रू0-1,01,000/- (रूपये एक लाख एक हजार मात्र) की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार बिन्दु संख्या-13 में उल्लिखित है कि इस हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। तत्क्रम में कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित/अनाथ/संकटग्रस्त बालिकाओं के विवाह हेतु रू0-1,01,000/- (रूपये एक लाख एक हजार मात्र) की आर्थिक सहायता/अनुदान प्रदान किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं :-

1- उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अन्तर्गत विवाह हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु पात्रता की श्रेणियां :-

(i) 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रही बालिकाओं को ही उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान की धनराशि अनुमन्य की जायेगी।

(ii) विवाह हेतु निर्धारित की गयी तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

(iii) विवाह की तिथि के 90 दिन पूर्व से विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अन्दर आवेदन किया जाना अनिवार्य है।

(iv) दिनांक 02 जून 2021 से पूर्व किये गये विवाह हेतु अनुदान देय नहीं होगा।

2— उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनान्तर्गत विवाह हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान हेतु देय लाभ:—

राज्य सरकार निर्धारित श्रेणी की बालिकाओं के विवाह योग्य होने पर विवाह हेतु रू0—1,01,000/— (रूपये एक लाख एक हजार मात्र) की धनराशि उपलब्ध करायेगी।

3— लाभ प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया तथा जॉच :—

(i) उपरोक्त श्रेणियों की ऐसी समस्त चिन्हित बालिकायें या उनके अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई सीधे सम्पर्क कर उनके आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को चिन्हांकन के 15 दिन के अन्दर पूर्ण करायेगी। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स इस हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई का सतत् पर्यवेक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित करायेगी कि ऐसी समस्त बालिकाओं के आवेदन पत्र ससमय प्राप्त कर लिये गये हैं।

(ii) ऐसे समस्त बालिकायें स्वयं/उनके माता/पिता/संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदनपत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iii) आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या विकास खण्ड या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल के पास या तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी, कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।

(iv) निर्धारित प्रारूप पर भरे, स्वप्रमाणित किये गये सभी संलग्नकों के साथ प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे।

(v) योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अपनी संस्तुति के साथ आवेदन पत्रों को जिला प्रोबेशन अधिकारी, कार्यालय में यथाशीघ्र प्रेषित किया जायेगा।

(vi) जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्राप्त समस्त सत्यापित आवेदन पत्रों को शासनादेश संख्या—720/60—1—2021, दिनांक 12 मई 2021 द्वारा गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(vii) जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की गतिविधियों, योजना से सम्बंधित समस्याओं, शिकायतों आदि के निराकरण के सम्बन्ध में रानी लक्ष्मी बांई महिला सम्मान कोष योजनान्तर्गत गठित राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।

......3

4– योजनान्तर्गत आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख :–

(i) बालिका तथा उसके वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र।

(ii) माता–पिता / माता / पिता / वैध संरक्षक जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाणपत्र तथा कोविड–19 से मृत्यु संबंधी साक्ष्य।

(iii) वर व वधू का आयु प्रमाणपत्र (किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–94 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।)

(iv) विवाह की तिथि नियत होने या विवाह सम्पन्न होने सम्बन्धी अभिलेख यथा विवाह का कार्ड।

(v) उ0प्र0 के निवासी होने का प्रमाण–पत्र।

(vi) परिवार का आय प्रमाण–पत्र, जो रू0–3.00 लाख से अनधिक का हो। (माता / पिता दोनों की मृत्यु होने की दशा में आवश्यक नहीं)।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार प्रश्नगत योजना कियान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस योजना हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र एवं शपथ–पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नक–यथोक्त।

(वी0 हेकाली झिमोमी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1017 (1) / 60–1–2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4– निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी / जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त बाल कल्याण समिति, उ0प्र0 द्वारा जिला परिवीक्षा अधिकारी।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव।

Hirja Desk/Mahila Samakhya and COVID 19/JS go.

ई–मेल/महत्वपूर्ण

निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या– 365 / निदे0म0क0/प्रोबे0/मु0बा0से0यो0/2021–22

समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2021

विषय– 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' अर्न्तगत आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु परिवार की निर्धारित वार्षिक आय सीमा में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 823/60–1/2021 दिनांक 06 जुलाई 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के सुगम संचालन हेतु शासनादेश संख्या–773/60–1–21, दिनांक 02.06.2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के बिन्दु–1 (II) (योजना से लाभान्वित किये जाने वाले बच्चों की श्रेणियो) तथा बिन्दु 6 (II) (योजना के अर्न्तगत लाभार्थी के अपात्र होने के कारण) में परिवार की वार्षिक आय सीमा रू0 2.00 लाख निर्धारित है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इस योजनार्न्तगत आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु परिवार की निर्धारित वार्षिक आय सीमा रू 2.00 लाख को बढ़ाकर रू0 3.00 लाख वार्षिक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः शासन का उक्त पत्र इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(मनोज कुमार राय)
निदेशक।

पृष्ठांकन व दिनांक–यथोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन
2. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त बाल कल्याण समिति, उ0प्र0, द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त निदेशक, चाइल्डलाइन (1098), उत्तर प्रदेश, द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी।

(बी0एस0 निरंजन)
उप निदेशक।

महत्वपूर्ण
संख्या–823 / 60–1–2021

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई, 2021

विषयः– 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु परिवार की निर्धारित वार्षिक आय सीमा में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–203 / नि0म0क0 / प्रोबे0 / मु0बा0से0यो0 / 2021–22, दिनांक 11.06.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– 'उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के सुगम संचालन हेतु शासनादेश संख्या–773 / 60–1–21, दिनांक 02.06.2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के बिन्दु–1 (II) (योजना से लाभान्वित किये जाने वाले बच्चों की श्रेणियां) तथा बिन्दु–6 (III) (योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के अपात्र होने के कारण) में परिवार की वार्षिक आय सीमा रू0 2.00 लाख निर्धारित है। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इस योजनान्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान हेतु परिवार की निर्धारित वार्षिक आय सीमा रू0 2.00 लाख को बढ़ाकर रू0 3.00 लाख वार्षिक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार लिए गये निर्णय के अनुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

संख्या–823(1) / 60–1–21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी / जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त बाल कल्याण समिति, उ0प्र0, द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी।
8– गार्ड फाइल।

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव।

महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0

उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान

आवेदन–पत्र

बालिका की फोटो चस्पा करें	आवेदक अपनी फोटो चस्पा करें

1– आवेदक का नाम ....

2– आवेदक के पति/पत्नी का नाम ....

3– पता ....

4– आवेदक का बालिका के साथ सम्बन्ध ....

5– बालिका का नाम (जिसका विवाह होना है या हो चुका है) ....

6– बालिका की आयु/जन्म तिथि ....

7– बालिका की शैक्षिक योग्यता ....

8– बालिका की माता का नाम ....

9– बालिका की माता की स्थिति (जीवित या मृतक) ....

10– मृत्यु की तिथि व कारण (मृतक होने की स्थिति में) ....

11– बालिका के पिता का नाम ....

12– बालिका के पिता की स्थिति (जीवित या मृतक) ....

13– मृत्यु की तिथि व कारण (मृतक होने की स्थिति में) ....

14– विवाह हेतु निर्धारित तिथि ....

15– वर का नाम .... आयु/जन्म तिथि ....

16– वर का निवास स्थान एवं पता ....

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी,

दिनांक व स्थान–

नोटः–क्रमांक संख्या 7, 8, 9 ,10, के समर्थन में प्रमाण–पत्र संलग्न करें अन्यथा प्रार्थना पत्र निरस्त समझा जायेगा।

शपथ–पत्र

मैं .... पति/पत्नी श्री .... निवासी .... पोस्ट .... परगना .... तहसील .... जिला .... का/की निवासी हूं जो शपथपूर्वक निम्न बयान कर रहा/रही हूँ:–

1– यह कि मैंने अपनी .... (जो सम्बन्ध हो) सुश्री .... आयु .... वर्ष की शादी दिनांक .... को श्री .... पुत्र श्री ....निवासी...............................पोस्ट.............................. परगना............................... तहसील.....................................जिला....................................से निश्चित की है/कर दी है।

2– यह कि मैं अपनी .... (जो भी सम्बन्ध हो) के विवाह हेतु प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान रू0–10,1000/– (रू0 एक लाख एक हजार मात्र) का उपयोग उसी प्रयोजन में करूंगा/करूंगी।

3– यह कि मैं प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में करूं तो प्राप्त अनुदान धनराशि रू0–10,1000/– (रू0 एक लाख एक हजार मात्र) की वसूली भू–राजस्व की भांति वसूल कर ली जाय, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

4– मैं सत्यापित करता/करती हूं कि उपर्युक्त शपथ–पत्र की धारा 1–3 मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर–

नाम–

पदनाम –

दिनांक–

उप जिलाधिकारी (शहरी क्षेत्र हेतु)/खण्ड विकास अधिकारी(ग्रामीण क्षेत्र हेतु) की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत बालिकाओं की आर्थिक सहायता/विवाह हेतु निर्धारित धनराशि प्राप्त किये जाने की पात्र है तथा योजना सम्बन्धी समस्त शर्तों को पूर्ण करता है/करती है। अतः आवेदक को योजना का लाभ दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी /
खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

दिनांक–